

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एफ24( ) NOC19-20/ बी.एड/आकाशि/19/ 318

दिनांक:- 5/7/19

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) के मान्यता आदेश के अनुसरण में निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र 2019-20 के लिए बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.(4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) के संचालन हेतु केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्वारा जारी किया जाता है।

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी, राजकीय जूंगर महाविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2019 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चिता की जावेगी।
5. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग में भाग ले रहे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फंडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे।
- 6- The Institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulation and always display as mandatory disclosure the following:-
  - i. Copy of Application Form
  - ii. Land and Building Particulars
  - iii. Approved Teaching Staff Profile and Non Teaching Staff List
  - iv. Recognition Order
  - v. Information regarding fulfillment of norms & standards and other conditions for the course
  - vi. No of Enrolled students(Total Allotted Seat, No of Admitted Students)

क्र.सं.	संस्था का नाम व पता	पाठ्यक्रम का नाम	एन.सी.टी.ई के मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांक	सीट संख्या	सहशिक्षा/महिला
1	Excellence Girls College, Village-Sikar, Tehsil-Sikar, Dist.-Sikar -332001	B.A.B.Ed./ B.Sc.B.Ed. (4 Year Integrated)	NRC/NCTE /APP-10628/ 295th Meeting/ 2019/201155-60 dated 02-03-2019 And NRC/NCTE /APP-10628/ 2019/201812-17 dated 28-03-2019	100 (2 Unit)	महिला

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रदीप कुमार बोरड)  
आयुक्त एवं विशिष्टशासन सचिव,  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समन्वयक, पीटीईटी-2019, राजकीय जूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।
6. रजिस्ट्रार, प० दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को भेजकर लेख कि संस्थाओं का सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. के मान्यता पत्र के बिन्दू 5 व 6 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
7. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय, जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
8. परियोजना अधिकारी, राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सचिव/प्राचार्य, Excellence Girls College, Village-Sikar, Tehsil-Sikar, Dist.-Sikar -332001
10. प्रभारी वेबसाइट, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(निजीसंस्था)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।